



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-10092025-266043
CG-BR-E-10092025-266043

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3971]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2025/भाद्र 18, 1947

No. 3971]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

पटना, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 4086(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 37 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्यों से राष्ट्रीय अवसंरचना मुहैया कराने के लिए झारखंड राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगी।

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
1	झारखंड राज्य में कुमांडीह और बरवाडीह स्टेशनों के बीच (18.5 किमी) पूरे रेलवे नेटवर्क को पलामू टाइगर रिजर्व से दूर परियोजना

[फा. सं. ECR/CAO/C/S/Kumandih-Barwadih]
रामाश्रय पांडे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण/दक्षिण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(East Central Railways)****NOTIFICATION**

Patna, 29th July, 2025

S.O. 4086(E).—In exercise of the powers conferred by clause 37A of Section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the project mentioned in the table below as

Special Railway Project in the State of Jharkhand for providing national infrastructure for a public purpose with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette.

Sl. No.	Name of Project
1	Diversion of entire Railway network between Kumandih to Barwadih (18.5km) away from Palamau Tiger Reserve in the state of Jharkhand

[F. No. ECR/CAO/C/S/Kumandih-Barwadih]

RAMASHRAY PANDEY, Chief Administrative Officer (Const./South)